संख्या– 122 / 15-11-2014

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11

लखनऊः दिनांक : 21 जनवरी, 2014

विषय– निजी संस्थान सी0ई0आर0टी0 कालेज आफ एजूकेशन, प्लाट नं0 73/1 एवं 74, ग्राम दुगरावली, बाईपास परतापुर, मेरठ को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान सी0ई0आर0टी0 कालेज आफ एजूकेशन, प्लाट नं0 73/1 एवं 74, ग्राम दुगरावली, बाईपास परतापुर, मेरठ को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013–14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट बेवसाइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013–14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या– (1)/15–11–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002

2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।

3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।

5– सचिव/प्रबन्धक, सी0ई0आर0टी0 कालेज आफ एजूकेशन, प्लाट नं0 73/1 एवं 74, ग्राम दुगरावली, बाईपास परतापुर, मेरठ।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

पंजीकृत

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
सीईआरटी कालेज ऑफ एजूकेशन
एन0एच0-58 बाई पास रोड, परतापुर
मेरठ।

पत्रांक– शि0स0 / बी0टी0सी0 / अनु0-389/2884-87 / 2012–13 दिनांकः 21-8-12
विषयः– निजी बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक बी0टी0सी0 2012–13 दिनांक 19.07.2012 सहित के संदर्भ में निजी बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोबेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्री संतोष कुमार त्रिपाठी	प्राचार्य / विभागाध्यक्ष
2. कु0 कुसुम लता (अनुसूचित जाति)	प्रवक्ता आधारिक
3. श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय	प्रवक्ता प्रविधि
4. डा0 प्रेम वीर सिंह (पिछडी जाति)	प्रवक्ता प्रविधि
5. श्री प्रदीप कुमार	प्रवक्ता प्रविधि
6. श्रीमती स्वेता सिक्नधिया (पिछडी जाति)	प्रवक्ता कला
7. श्री दिनेश कुमार	प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्रो का उनके मूल अभिलेखों से सत्यापन कर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
18-8-12
(भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 शि0स0 / बी0टी0सी0 / अनु0– / / 2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, पिण्डारी, जालौन।

(भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner